अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा

भूमि विवाद अपील वाद संख्या 381/2013

मो0 रसूल — अपीलार्थी

बनाम

मो0 असीर एवं अन्य — रेस्पाण्डेन्ट्स

–:आदेश:–

प्रस्तुत अपील वाद अपीलार्थी के द्वारा भुमि सुधार उप–समाहर्त्ता, सिमरीबख्तियारपुर के आदेश दिनांकः 25.02.2013 ई० अंदर वाद संख्या–76/12 के विरूद्ध खिलाफ रेस्पोण्डेन्ट्स के दाखिल किया गया है।

वाद पुकारा गया। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलोकन किया ।

प्रस्तुत अपील वाद का मुल विषय मौजाः बरसम, थाना नं० 02 अंचल सिमरी बख्तियारपुर, जिला–सहरसा के अन्दर खाता नं० 183 खेसरा नं०: 1311 रकवाः 01 कट्ठा जमीन चौहद्दी उत्तर–बरसम सीमान, दक्षिण– मोती मियॉ, पुरब–मदनपुर, सीमान पश्चिम पक्की सड़क जमीन प्रश्नगत विवादी भूमि है।

अपीलार्थी बहस के कम में कथन करते हैं कि उपर्युक्त वर्णित जमीन अपीलार्थी को पूर्व जमींदार से अपीलार्थी के पिता मो0 नसीब मियॉ के नाम से केवाला द्वारा तारीख 30.01.1962 ई0 को प्राप्त है तथा जमीन खरीदगी पश्चात अपीलार्थी के पिता जमाबंदी कायम करने हेतु आवेदन दिये वो जॉचोपरान्त उनके नाम जमाबंदी संख्या 65 कायम हुआ वो मालगुजारी रसीद प्राप्त करते हुए खरीदगी भूमि पर अपना घर बनाकर रहने लगे। उक्त भूमि पर निर्मित घर से कुछ वर्षो के बाद प्रतिवादीगण मो० असीर मियां एवं मो० जसीम मियां के स्व० पिता अजीज मियां द्वारा संदर्भ प्रश्नगत भूमि पर बने हुए मकान को किराये के रूप में रहने के लिए दिया गया।

आगे यह भी कथन करते है कि वादी के पिता के मृत्यु उपरान्त वादीगण बराबर अपने पारिवारिक भरण पोषण के लिए बाहर रहते हैं तथा संदर्भ विवादी भूमि पर बने मकान की आवश्यकता महसूस होने पर प्रतिवादीगण से मकान खाली करने को कहा गया, परन्तु प्रतिवादीगण बराबर टाल मटोल करते रहे। अपीलार्थी/वादी द्वारा स्थानीय ग्रामीण को बैठाकर पंचायत करने तथा उक्त पंचायती में प्रतिवादीगण नहीं आकर चन्द तरह की धमकियॉ देने लगे।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते है कि प्रतिवादीगण द्वारा प्रश्नगत भूमि का बासगीत पर्चा नाजायज रूप से वादी की भूमि हड़पने की नियत से बनवा लिया गया। प्रतिवादीगण के नाजायज हरकत तथा प्रश्नगत भूमि पर अपीलार्थी/वादी के घर मकान को जबरन हड़पने का धमकी देने के कारण यह विवाद उत्पन्न हुआ है।

आगे यह भी कथन करते हैं कि अपीलार्थी कमजोर जाति का गरीब भूमिहीन मजदुर, बी०पी०एल० कार्डधारी हैं। इसी आधार पर प्रश्नगत भूमि पर वादी द्वारा अधिकार एवं दखल कब्जा घोषित करने तथा प्रश्नगत भूमि पर बने धर से प्रतिवादीगण को खाली करवा कर अपीलार्थी को सूपूर्द करने की मांग किया गया है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलोकन किया पाया कि प्रतिवादीगण द्वारा प्रश्नगत भूमि पर पुस्तैनी दखल कब्जा मकान मय सहन है तथा स्व0 पिता के नाम निर्गत बासगीत पर्चा प्राप्त है।अपीलार्थी/वादी द्वारा निम्न न्यायालय के समक्ष दाखिल अर्जी दावा में प्रश्नगत भूमि पर बने मकान मय सहन में प्रतिवादीगण के दखल कब्जा को किराये के रूप में रहने की स्वीकारोक्ति की गई है । अपीलार्थी/वादी ने अपने स्व० पिता द्वारा ही प्रतिवादीगण के स्व० पिता को देने का कथन किया है, जबकि किरायानामा से संबंधित कोई भी ठोस आधार न ही निम्नन्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया और न ही इस न्यायालय के समक्ष। अपीलार्थी/वादी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा इस सन्दर्भ में कोई तथ्यात्मक बहस भी नहीं किया गया, जिस वजह से इस अपील वाद को ग्रहण करना समीचीन प्रतीत नहीं होता है।

अस्तु अपील वाद नामांकन विन्दु पर अस्वीकृत की जाती है। इसी के साथ अपील वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखाप्ति एवं संशोधित।

22/11/2013	22/11/2013
आयुक्त	आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा	कोशी प्रमंडल, सहरसा